641

विकय विलेख

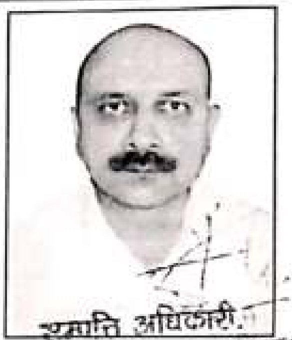

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

मालियत विकय पत्र रू0 2,35,200/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है रू0 2,36,000/-

स्टाम्प शीट की संख्या.......09

स्टाम्प शुल्क रू0 9,000/- आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प का योग रू0 9,000/-

मैं/हम कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ देहरादून

कार्यालय/दुकान भूखण्ड संख्या --06 ट्रान्सपोर्ट नगर, फेज-द्वित्तीय योजना सेवला खुर्द देहरादून।

के मालिक व काबिज है और हमारी सम्पति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है, उसको बदस्त और श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा निवासी- बी-84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ को विकय कर दिया है......लेखानुसार.....को निम्नप्रकार... लेखानुसार.........वसूल पाया.

लेखानुसार. विवरण सहित.....लेखानुसार.......बाकें........लेखानुसार.....

पेन कार्ड नं0 ASRPS3794E

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276407

कोषागार, देहरादून (उत्तराखण्ड)

12 JAN 2012

निर्गत किया
कोड सं. 001

(1)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 25 माह जनवरी दो हजार बारह को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 रूपान्तरण उत्तराखण्ड नगर योजना एंव विकास अधिनियम 2002 के अधीन गठित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिसका प्रधान कार्यालय देहरादून में है। जिसे एतत्-पश्चात प्राधिकरण कहा गया है जिसका कार्य उसके उपाध्यक्ष के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त प्राधिकरण इसका पदधारक उत्तराधिकारी और अभयर्पिती से है और सम्मिलित है प्रथम पक्ष और **श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा निवासी– बी–84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ** वर्तमान पता **बी–84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ** जिसे एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है, और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है द्वितीय पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276408

कोषागार, देहरादून
(उत्तराखण्ड)
12 JAN 2012
निर्गत किया
कोड 01

चूंकि उक्त प्राधिकरण भूमि का स्वामी है और उसने शहर/ नगर ट्रान्सपोर्ट नगर तहसील देहरादून जिला देहरादून में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना नामक मुहल्ले के उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग/अल्प आय वर्ग/समाज के दुर्बल आय वर्ग का मकान/दुकान/कार्यालय संख्या–06 का निर्माण किया है, और चूंकि उक्त प्राधिकरण ने रूपये–2,35,200/– रूपये (दो लाख पैन्तीस हजार दो सौ मात्र) जिसका आधा रूपये 1,17,600/– (रूपये एक लाख सत्रह हजार छः सौ मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त दुकान/कार्यालय संख्या–06 को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित है।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276409

कोषागार देहरादून (उत्तराखण्ड)

12 JAN 2012

विक्रेता विक्रय कोड सं. 001

(जिसे एतद्पश्चात उक्त भूखण्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण से उक्त मूल्य पर इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव अब रूपये 2,35,200/– रूपये दो लाख पैन्तीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप ओर सभी समबद्व पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन प्राधिकरण एतद् द्वारा.. ..... ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सेवला खुर्द ....में स्थित सम्पूर्ण (भवन और संरचना/ दुकान/कार्यालय संख्या–06) जिसे नीचे दी गयी अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है :–

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276410

कोषागार, देहरादून
12 JAN 2012
दिनांक 31/1/2012

1. प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था, एतद्–एतद द्वारा विकय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2. एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त भूखण्ड समस्त भारग्रहस्तता, भार, दावे और मांग से मुक्त है।

3. उक्त भूखण्ड का वास्तविक कब्जा पंजीकृत इच्छुक केता को आज परिदत्त किया गया

4. पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण द्वारा या उक्त प्राधिकरण के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।

5. यदि पंजीकृत इच्छुक केता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भारग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त प्राधिकरण के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त प्राधिकरण पंजीकृत इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्रा...
देहरादून

पुष्प शर्मा

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276411

कोषागार, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

12 JAN 2012

निर्गत किया

...उक्त भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक केता ने इस उक्त प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं के पंजीकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्वत किए जा रहे है :–

(क)भूखण्ड का हस्तान्तरण पंजीकृत इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और पंजीकृत इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी।

(ख) पंजीकृत इच्छुक केता द्वारा भूखण्ड का उपयोग केवल निर्दिष्ट कार्यो हेतु किया जाएगा।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276412

12 JAN 2012

7. उक्त भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक क्रेता ने इसे बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि पंजीकृत इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्ही प्रभारों के अनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त प्राधिकरण की कालोनी में सडकों जल समपर्ति, बिजली सीवर और जल निस्तारण और किन्ही अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और अब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा प्राधिकरण को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त मकान/दुकान/कार्यालय संख्या–06 पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी ओर प्राधिकरण उक्त धनराशि को 18 प्रतिशत (अठारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पंजीकृत इच्छुक क्रेता से वसूली करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त भूखण्ड का उपयोग आवंटित प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किऐ गये मकान/भूखण्ड के सम्बन्ध में प्राधिकरण के सीधी अनुदेशों का सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276413

9.इस विलेख के अधीन प्राधिकरण से इच्छुक केता को ऐसी भूमि में जिस पर उक्त **दुकान/कार्यालय संख्या–06** स्थित है। यह अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

10. केता ने आबंटित पत्र में दी गयी शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है जिसे इस दस्तावेज के साथ ही साथ निष्पादित किया जाता है और उसे पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव आवंटन पत्र में दी गये शर्तो के अधीन होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री.......... **(धन सिंह चौहान) लिपिक**..........ने प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से ओर ...... **श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा निवासी– बी–84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ** ....आशयिता केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने –अपने हस्ताक्षर किये।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 276414

अनुसूची 'क'
विकय की गई सम्पत्ति की अनुसूची:

सीमायें: पूर्व .... सम्पत्ति अन्य।
पश्चिम ....कोर्ट यार्ड।
उत्तर ....भूखण्ड संख्या–एस–05
दक्षिण ....भूखण्ड संख्या–एस–07

दुकान/कार्यालय संख्या–06
क्षेत्रफल 24.00 वर्गमीटर

विकेता के लिए और उसकी ओर से

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
कृते उपाध्यक्ष
म०दे०वि०प्रा० देहरादून
प्रथम पक्ष

केता के लिए और उसकी ओर से
हस्ताक्षर............
नाम श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा
पता – बी–84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ
द्वितीय पक्ष

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 02836

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथम पक्ष/विकेता का नाम एवं पता:– .सम्पत्ति अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

सम्पत्ति अधिकारी

प्रथमपक्ष/विकेता के हस्ताक्षर

द्वितीयपक्ष/केता का नाम एवं पता :– श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार शर्मा निवासी– बी–84 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड मेरठ

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पुष्पा शर्मा

द्वितीयपक्ष/केता के हस्ताक्षर

साक्षी सं0 1
नाम व पता
सौरभ शर्मा S/o श्री विपिन कुमार शर्मा
बी-84 सरस्वती लोक दिल्ली रोड मेरठ

साक्षी सं0 2 अर्पित कुमार S/o [illegible]
नाम व पता 43 a सत्यो वाली कावली देहरादून

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथम पक्ष / विक्रेता का नाम एवं पता:– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अगुलियां के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियां के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

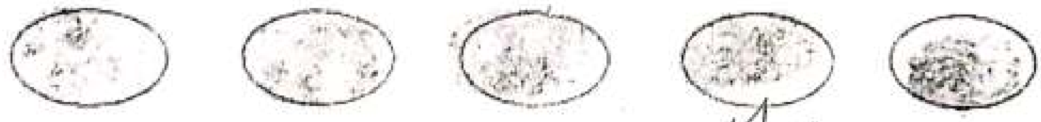

सम्पत्ति अधिकारी
प्रथम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

पुष्पा शर्मा

Scanned with CamScanner

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून
फोन नम्बर–0135–6603150.6603149 वेबसाईट–mddaonline.com

ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–II कब्जा प्रमाण पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0/मै0
PUSHPA SHARMA
B-84 SARASWATI LOK DELHI ROAD MEERUT

प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेस–II में भूखण्ड संख्या 06 श्रेणी SHOP के अन्तर्गत पत्रांक 357 दिनांक 13-Apr-2011 के द्वारा भूखण्ड का आवंटन आपके पक्ष में किश्तों/एक मुश्त पद्वति पर किया गया हैं।

उक्त भूखण्ड की किश्तों का अनुबन्ध निष्पादित किये जाने/भूखण्ड का एक मुश्त भुगतान करने के साथ ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा आवंटी को हस्तारित किया जा रहा है।

इस भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं सीमायें निम्नवत है:–

भूखण्ड का क्षेत्रफल 3.70M X 6.51M 24.10 वर्गमीटर
पूरब others Property
पश्चिम Court yard
उत्तर Shop No 5
दक्षिण Shop No 7

उपरोक्त भूखण्ड जिसका विवरण उपरोक्तानुसार है, का भौतिक कब्जा आवंटी को दिनांक 03.01.2012 को स्थलानुसार हस्तान्तरित किया जा रहा है।

कब्जा दिया गया।

03/01/2012

अवर अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

कब्जा प्राप्त किया।

हस्ताक्षर,
आवंटी का नाम, पुष्पा शर्मा
PUSHPA SHARMA

Scanned with CamScanner